DALIT DIARIES AWARENESS TOOLKIT

A Legal Rights Zine (Hindi)

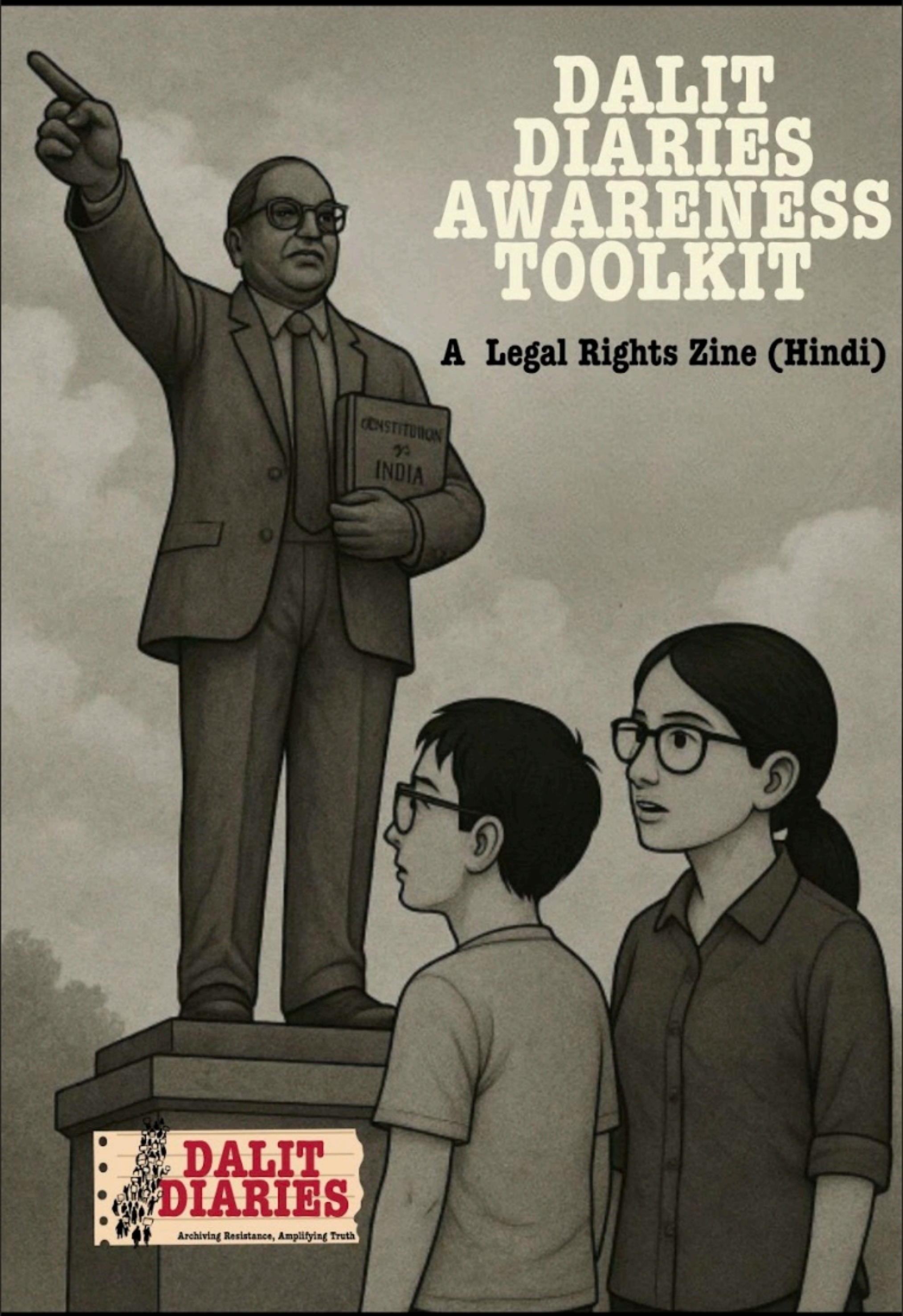

तनिलताडु में भीड़ ने युयक को पीट·मीटकर मार डाला, परिवार का आरोप - हमला दलित होने की वजह से हुआ
बिहारः पुर्णिया में महाद-लितों की बस्ती में लगाई आग, एक की हत्या और दर्जनों घ घायल; जातें पूरा मामला
राजस्थातः दलित छात्र ने घड़े स पिया पानी तो बहशी बन गया टीयर, ताबड़ोड़ पिटाई से फट गई कान की मस, मीत
लखीमपुर खीरो में दो बहनों की लाशें लटc गिलीं, 6 गिरफ्तार, योगी सरकार से वियक्ष ने पूछे सवाल
MP: दलित युवक की पीटकर हत्या, बवाने गई मां को किया निबस्त्रा व्वड़ो बो ले- पैर घ्रेकर गुनाह छिपाते हैं CM
दूल्हे का कॉलर पकडकर गिराया, आगरा मैं दबर्गों ने दलित बारात पर किया हमला, मायवाती ने जताई नाराजगी
दलित बस्ती में हिसा करने के आरीप में 98 अभियुलतों को हई ग्रेल्द, कर्नोटक, कर्नाटक की अदालत ने क्यो सुनाया ये फेसला, मढ़ें
दूलहे का कोलर पकड़केर गिराया, आ थरा में दबंगों ने दलित बारात पर किया हमला, मायावती ने जताई नाराजगी
दूलत्हे का कोलर पकड़ा गिराया, आगरा में दबगीं नें दलित बारात पर किया हमला, मायावत्ती ने जताई नराजगी

इस देश में दलित समाजके साथ हो रहे अन्याय से मेरा दिल गहरे तक आघातित है। क्या हमारे हिस्से में सिर्फ चुपचाप सहना ही लिख है?

हमारे संविधान ने दलित समाज के लिए कई महत्वपूर्ण अधिकार दिए हैं, लेकिन अक्सर हम उनसे वाकिफ नहीं होते। अब वक्त आ गय है कि हम संविधान को गहराई से परखें, इन अधिकारों को खोजें और उन पर रोशनी डालें।

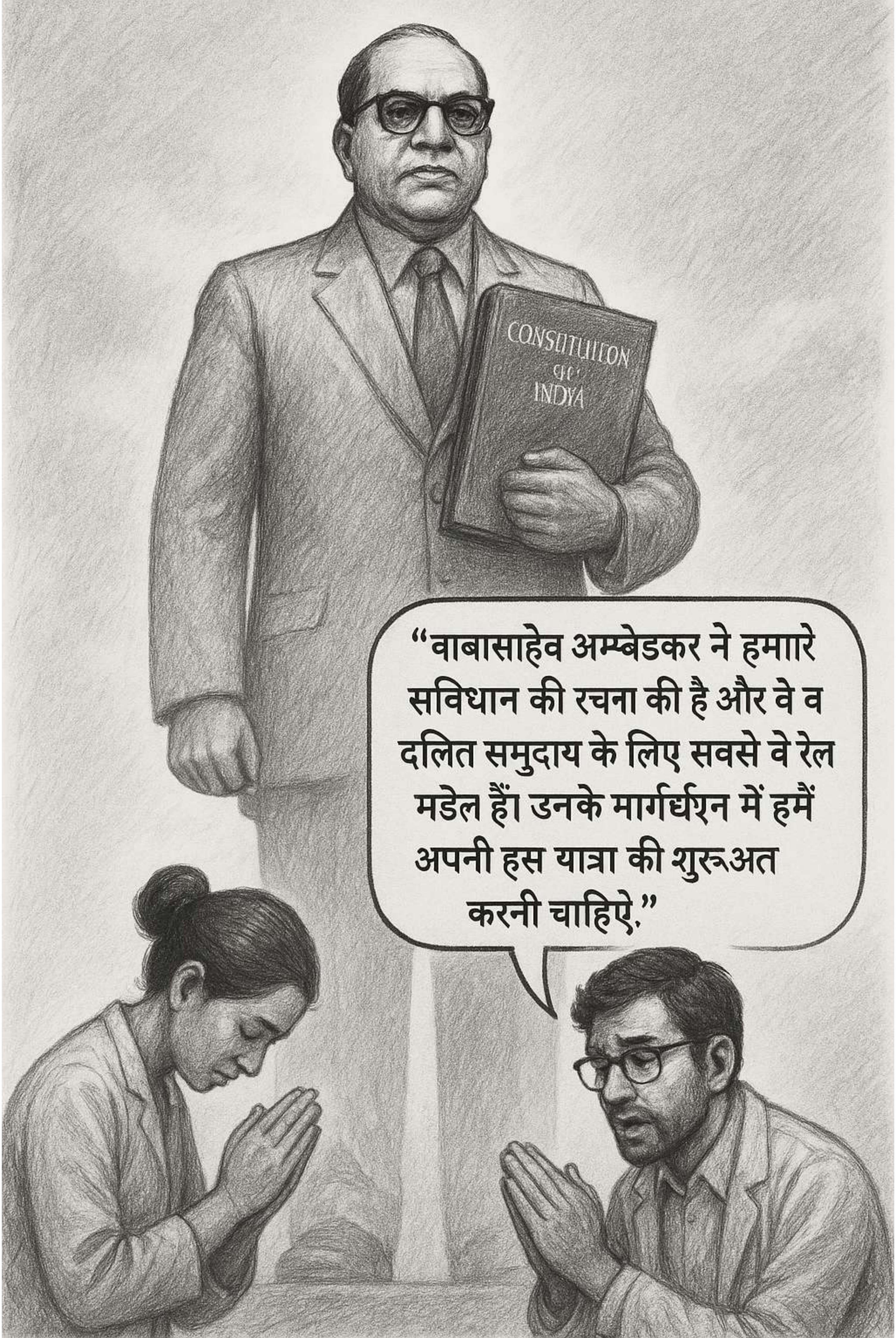
INDYA
“वाबासाहेव अम्बेडकर ने हमाारे सविधान की रचना की है और वे व दलित समुदाय के लिए सवसे वे रेल मडेल हैंा डनके मार्गर्धश्न में हमैं अपनी हस यात्रा की शुरूअत करनी चाहिऐ.”

CONSTITUTION
OF
INDIA

ARTICLE 14: EQUALITY BEFORE LAW

ARTICLE 15:
RIGHTS AGAINST DISCRIMINATION

रेड्ग्नास अयाकायता

‘इसका मतलब है कि हमें कहीं भी – चाहे स्कूल हो, दुकान हो या कोई सरकारी दफ़र – जाति, धर्म या लिंग की वजह से रोका नहीं जा सकता हमें समान अधिकार अैर सम्मान मिला हुआ है.’

ARTICLE 17 –
UNTOUCHABILITY ABOLISHED
अनाउचबिय्थी सपत- जो भी इसे लागू करे, वह अब अर्पाधी है!
एमधेचारिपीया— अमाप्त—जो भ ही इरे लागू करे, वह अब अपरिधो!
KAPOW!
UNTOU ABILITY
Artice 17–untouchability Abolished

कानून कहता है कि समान अवरर सिुनिधकरे और भेदभाव घाने के लिए आरक्षण अधिवर्य है। इसरिके हमाारे संविधान ने अनुसूधित जाति व अनुसधित्द जनजाति के शद्दतों के लिए शौढि ररकारी नौकरियों में पद अरिक्षित किऐ हैं।
आरिधत
आरिधत
आरिधत

'देश और राज्य—दोनों जगह हमारे लिए सीटें आरीष हैं, ताकि हमारी आवाज़ उपार तक पहुंचसेए'
SC
ARTICLE 330 & 332–
SEATS IN LOK SABHA
& STATE ASSEMBLIES

Article 243D – Seats in Panchayats

अनुच्छेद 338—हमारा रखवाला
हक छीना गया? आयोग जांचता है और सरकार से कहता है—सुधार करो!
सुरक्षा का ये कच हमेश हमारे साथ है!
NATIONAL COMMISSION FOR SCs
SC
SC
SC

'ये अधिकार तुन्ह्मारा स्टूल नहों, शक्ति का स्त्रोत है–
इसे जानो, अपनाओ, और दूसरों तक पहुवाँाओ!'
संविधान की रोशनी फैलाओ–
अब तुम्हारी बारी है!
अब यह ज्ञान तुम्हारे हाथ में है